वित्तीय स्वीकृति

संख्या-48/2024/1554/18-2-2024-18-2099/246/2022

प्रेषक,

पुष्पेंद्र सिंह
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 01 अक्टूबर, 2024

विषयः- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के पत्र संख्या-507/एम0एस0एम0ई0/(15)/नीति-2022/बजट मांग/2024-25, दिनांक 18-9-2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-3 लेखाशीर्ष 2851-102-28-सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति, 2022-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित रू0 5000.00 लाख (रूपये पचास करोड़ मात्र) के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू0 1500.00 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ मात्र) की धनराशि स्वीकृत करते हुये आपके निवर्तन पर रखने एवं व्यय करने की मा0 राज्यपाल सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि व्यय करने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय केवल उक्त स्वीकृत मदों पर ही किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके तात्कालिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा एवं स्वीकृत धनराशि का आहरण कर पी0एल0ए0 / बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुमोदित योजना की स्वीकृत मदों पर तदनुसार ही किया जायेगा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

तथा किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग अन्य मदों में तथा अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जायेगा।

4- लाभार्थी / इकाईयों को धनराशि का भुगतान एन0ई0एफ0टी0 / आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किया जायेगा। धनराशि का भुगतान चेक अथवा नगद नहीं किया जायेगा। लाभार्थी इकाईयों की पात्रता व आंकड़ो की शुद्धता का परीक्षण आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा किया जायेगा ।

5- स्वीकृत धनराशि के व्यय की मदवार सूचना निर्धारित प्रारूप बी0एम0-13 पर प्रत्येक माह में नियमित रूप से शासन तथा वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध करायी जायेगी। इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

6- धनराशि के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में लंबित देयताओं के सम्बन्ध में संगत नीति/शासनादेशों के अनुसार देय हों।

7- स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय शासन के वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गए मितव्ययता सम्बन्धी शासनादेशों एवं इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा व स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा।

8- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-3 के लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-28-सूक्ष्म, लघु एवं मध्म उद्यम प्रोत्साहन नीति, 2022-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

पुष्पेंद्र सिंह
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- निदेशक, वित्तीय एंव सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।

3- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।

4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 6, नियोजन अनुभाग-4

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

6- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

पुष्पेंद्र सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।